

फ़ाइल संख्या 7/28/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य कर विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 27 फरवरी , 2024

मौखिक सुनवाई हेतु सूचना

विषय: चीन पीआर और कोरिया आरपी से 'क्लोरीनयुक्त पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) के आयात से संबंधित सनसेट समीक्षा जांच की मौखिक सुनवाई - चाहे आगे इसे यौगिक में संसाधित किया गया हो या नहीं।

1. चीन पीआर और कोरिया आरपी से 'क्लोरीनयुक्त पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) - चाहे आगे यौगिक में संसाधित किया गया हो या नहीं' के आयात से संबंधित सनसेट समीक्षा जांच सीमा शुल्क टैरिफ (एंटी-डंपिंग की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह) के तहत 29.12.2023 को शुरू की गई थी। डंप की गई वस्तुओं पर शुल्क और क्षति के निर्धारण के लिए नियम, 1995 (एडी नियम)। एडी नियमों के नियम 6 (6) के अनुसार, "नामित प्राधिकारी किसी इच्छुक पार्टी या उसके प्रतिनिधि को जांच से संबंधित जानकारी मौखिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन ऐसी मौखिक जानकारी पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा तभी विचार किया जाएगा जब इसे बाद में दोबारा प्रस्तुत किया जाएगा। लेखन में" ।
2. यह आपकी जानकारी के लिए है कि उपर्युक्त जांच में, नामित प्राधिकारी ने **06.03.2024 (बुधवार)** को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक मौखिक सुनवाई निर्धारित की है। सुनवाई हाइब्रिड मोड में यानी डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (डीवीसी) के माध्यम से और भौतिक रूप से डीजीटीआर, चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001 के कॉन्फ्रेंस रूम में होगी।

3. आपको सुनवाई की तारीख पर बताई गई तारीख और समय-सारिणी के भीतर सुनवाई में व्यक्त किए गए विचारों के लिखित प्रस्तुतियाँ और प्रत्युत्तर (गोपनीय और गैर-गोपनीय संस्करण) प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।
4. कृपया उन व्यक्तियों के नाम और ईमेल पते सूचित करें जिनसे सुनवाई में भाग लेने की उम्मीद है। डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विवरण शीघ्र ही पंजीकृत इच्छुक पार्टियों के साथ साझा किया जाएगा।
5. किसी भी तकनीकी सहायता के लिए प्रतिभागी तकनीकी समन्वयक के मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। (श्री आसिफ, मोबाइल नंबर +91-9315422937)

एसडी/-

(राजीव कुमार सोनी)

संयुक्त डीजीएफटी

ईमेल: jd12-dgtr@gov.in

दूरभाष क्रमांक 011-23408728